(149)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R.R. 301

A.5081-II/16

1. वासदेव पिता स्वर्गीय जमुना प्रसाद वैसवार उम्री— 60 वर्ष, पेशा— खेती,
2. लक्ष्मण प्रसाद पिता स्वर्गीय वासदेव वैसवार उम्री— 48 वर्ष, पेशा— खेती,
3. शिवदास पिता स्वर्गीय जमुना प्रसाद वैसवार उम्री— 40 वर्ष, पेशा— खेती,
4. महादेव पिता स्वर्गीय जमुना प्रसाद वैसवार उम्री— 55 वर्ष, पेशा— खेती,

सभी निवासी ग्राम— धिनहागांव, तहसील— देवसर, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

5. लक्ष्मीनारायण पिता गैवीनाथ वैसवार उम्री— 45 वर्ष, पेशा— खेती,
6. गोपालदास पिता गैवीनाथ वैसवार उम्री— 40 वर्ष, पेशा— खेती,

निवासी ग्राम— कर्री, थाना— बरगवां, तहसील— देवसर, जिला—सिंगरौली (म.प्र.)

श्री .... द्वारा आज दिनांक 15-2-16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

7. अवनीश कुमार पिता रामशिरोमणि उम्री— 22 वर्ष, पेशा— खेती,
8. अम्बरीष कुमार पिता राममणि वैसवार, उम्री— 30 वर्ष, पेशा— खेती,
9. रामशिरोमणि पिता रामाश्रय वैसवार उम्री— 55 वर्ष, पेशा— खेती,

   निवासी ग्राम— धिनहागांव, तहसील— देवसर, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

10. ठाकुर प्रसाद पिता सत्यनारायण वैसवार उम्री— 65 वर्ष, पेशा— खेती, निवासी ग्राम— धिनहागांव, तहसील— देवसर, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

———— अपीलार्थीगण

बनाम

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)
2. लालता प्रसाद पिता स्वर्गीय रामलल्लू वैसवार उम्री— 40 वर्ष, पेशा— खेती,
3. मुसम्मात कदमी विधवा पत्नी रामलल्लू वैसवार उम्री लगभग—65वर्ष, पेशा— खेती,
4. संजय कुमार पिता स्वर्गीय कामता प्रसाद उम्री लगभग— 30 वर्ष, पेशा— खेती,
5. अनिल कुमार पिता स्वर्गीय कामता प्रसाद उम्री लगभग— 22 वर्ष, पेशा— खेती,
6. कमलभान पिता स्वर्गीय कामता प्रसाद उम्री लगभग— 25 वर्ष, पेशा— खेती,

उत्तरवादी क्रमांक— 2 से 6 निवासी ग्राम— धिनहागांव, तहसील— देवसर, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

वासदेव प्रसाद

7. कैलाश प्रसाद तनय स्वर्गीय श्री रामवैसवार उम्री– 55 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– चतरी, थाना– मोरवा, तहसील– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

8. लालकुमार पिता वेचनलाल वैसवार उम्री लगभग– 25 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– पिपरखड़, थाना– मोरवा, तहसील– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

9. अरविन्द कुमार पिता मानिकचन्द वैसवार उम्री लगभग– 30 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– परासी, थाना– दुद्धी, तहसील– दुद्धी, जिला– सोनभद्र (उ.प्र.)

10. कृष्णचन्द पिता रामसुभग वैसवार उम्री लगभग– 58 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– धिनहागांव, हाल निवासी ग्राम– ओड़गड़ी, तहसील– देवसर, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

————— उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी देवसर / चितरंगी, जिला– सिंगरौली सीलिंग प्रकरण क्रमांक– 1566 व 90 / 1974–75 आदेश दि0–09.01.1989 जिसके अनुसार स्वर्गीय मुन्नीलाल पिता जवाहरलाल वैसवार के द्वारा सा0– धिनहागांव, पूर्व तहसील– देवसर, वर्तमान तहसील– चितरंगी, पूर्व जिला– सीधी, वर्तमान जिला– सिंगरौली के अन्तर्गत स्थित वादग्रस्त आराजियात पुराना बन्दोबस्ती सर्वे नम्बरान् 37 / 0.387 है0, 74 / 0.113 है0, 84 / 0.077 है0, 86 / 0.202 है0, 96 / 0.466 है0, 98 / 0.506 है0, 147 / 0.498 है0, 193 / 0.113 है0, 392 / 0.097 है0, 393 / 0.178 है0, 395 / 0.012 है0, 396 / 0.024 है0, 598 / 0.501 है0, 616 / 0.138 है0, 624 / 0.352 है0, 666 / 0.494 है0, 669 / 0.352 है0, 677 / 0.277 है0, 685 / 0.684 है0, किता–19 योग रकवा 5.515 है0 के 1 / 2 भाग के 2 / 3 भाग को ठाकुर प्रसाद पिता सत्यनारायण के

ब्रा जदेवप्रसाद

पक्ष में तथा 1/3 भाग के बावत् जमुना प्रसाद पिता रामनारायण के पक्ष में दिनांक– 04.07.1973 को निष्पादित तथा पंजीकृत विभाजन विलेख क्रमांक– 295 को तथा उक्त मुन्नीलाल पिता जवाहिरलाल वैसवार सा0– धिनहागांव के द्वारा ग्राम– पोखरा, तह0– देवसर, जिला– सिंगरौली स्थित आराजियात पुराना बन्दोबस्ती खसरा नम्बरान् 476 रकवा 0.429 है0, 477 रकवा 0.753 है0, पुराना खसरा नंबर– 448 रकवा 0.741 है0, किता– 3 योग रकवा 1.923 है0, जिसका कि नया बन्दोबस्ती सर्वे नम्बरान् 814, 823, 824, 826, 827 व 828 है के 1/2 हिस्सा के 2/3 भाग के बावत् ठाकुर प्रसाद पिता सत्यनारायणा वैसवार के पक्ष में तथा 1/3 हिस्सा के बावत् जमुना प्रसाद पिता रामनारायण वैसवार के पक्ष में दिनांक– 04.07.1973 को निष्पादित एवं पंजीकृत विभाजन विलेख क्रमांक– 294 को अवैध, शून्य घोषित कर दिया है इसी प्रकार से उक्त मुन्नीलाल पिता जवाहिरलाल के द्वारा दिनांक– 28.10.1972 को ग्राम– गिधेर, तहसील– देवसर, जिला– सिंगरौली स्थित आराजी पुराना खसरा नंबर– 50 रकवा 10.00 एकड़, पुराना खसरा नंबर– 18/1 रकवा 2.00 एकड़ तथा पुराना खसरा नंबर– 15 रकवा 8.00 एकड़ किता– 3 योग रकवा 20.00 एकड़ के बावत् वासदेव पिता जमुना प्रसाद के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत विभाजन विलेख क्रमांक– 333 को अवैध, शून्य घोषित कर अन्तरण

अपास्त किया है साथ ही उक्त मुन्नीलाल पिता जवाहिरलाल के द्वारा दिनांक– 28.10.1972 को ही ग्राम– गिधेर, तहसील– देवसर, जिला– सिंगरौली स्थित आराजी पुराना खसरा नंबर– 14/6 रकवा 10.00 एकड़, 39 रकवा 3.96 एकड़, खसरा नंबर– 40 रकवा 1.65 एकड़ किता– 3 योग रकवा 15.61 एकड़ के बावत् कृष्णचन्द पिता रामसुभग वैसवार के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत विक्रय विलेख क्रमांक– 333 को अवैध, शून्य घोषित कर दिया गया है।

अपील अन्तर्गत धारा– 4(3) म0प्र0 सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट 1960

मान्यवर,

निम्नलिखित आशय की अपील प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह कि अपीलार्थीगण तथा उत्तरवादी क्रमांक– 2 ता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं जो कि हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस उपशाखा से अधिशासित होते हैं।

2. यह कि अपीलार्थी क्रमांक– 1 से 4 तथा अपीलार्थी क्रमांक– 10 तथा उत्तरवादी क्रमांक– 2 से 6 एक ही मूलपुरूष स्वर्गीय हजारीलाल वैसवार सा0– धिनहागांव के वंशज हैं। पक्षकारों का आपसी संबंध दर्शाने के लिये स्वर्गीय हजारीलाल का वंशवृक्ष इस अपील मेंमो के साथ अनुलग्न– 'क' के रूप में दर्शाया जा रहा है जो अनुलग्न– 'क' अपील मेंमो का ही एक अंश है।

3. यह कि उपरोक्त हजारीलाल वैसवार तथा उनके पांच पुत्रों क्रमशः जवाहरलाल, सिंहलाल, हंसलाल, रामऔतार तथा रामअधीन के संयुक्त परिवार में ग्राम– धिनहागांव, ग्राम– पोखरा, ग्राम– लरवा, ग्राम– गिधेर तथा ग्राम– सेमरा में काश्तकारी की भूमियां थीं जिन पर उक्त सभी व्यक्ति काश्त करते थे कालान्तर में हजारीलाल की मृत्यु के बाद हजारीलाल वैसवार के पांचों पुत्रों जवाहिरलाल, सिंहलाल, हंसलाल, रामऔतार तथा रामअधीन को मिलाकर एक संयुक्त हिन्दू परिवार था जिसके

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 5081–दो/2016 अपील जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-07-17	सक्षम प्राधिकारी,म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम (अनुविभागीय अधिकारी), देवसर/सिंगरोली व्दारा प्र0क0 1566 ब–90/ 1974–75 में पारित आदेश दिनांक 9–1–89 के विरूद्ध यह अपील मध्य प्रदेश कृषि खातों की अधिनियम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 4 (3) के अंतर्गत राजस्व मण्डल में दिनांक 15–2–16 को प्रस्तुत की गई है 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर अपीलांट के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुनना चाहा, किन्तु उनके व्दारा निगरानी मेमो एंव सहपत्रों के आधार पर विचार किये जाने की मांग रखी । प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। 3/ अवधि विधान की धारा–5 के वर्णित तथ्यों के प्रकाश में सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) के आदेश दिनांक 09–01–1989 का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध	

न्यायालय में दिनांक 15–2–16 को अर्थात लगभग 27 वर्षव्यतीत होने के वाद अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि मूल धारक के विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण 1974–75 से प्रचलित रहा है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट स्वयं् को मूल धारक का बॅशज बता रहे है, उन्हें मूल धारक के विरूद्ध प्रचलित प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी,म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम (अनुविभागीय अधिकारी), देवसर/ सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 1566 ब–90/ 1974–75 में चली कार्यवाही का तथा पारित आदेश दिनांक 09–01–1989 से अतिशेष घोषित हुई भूमि (जिसमें से कुछ भूमि का बन्टन भूमिहीनों को होकर कब्जा दिया जा चुका है) का 15–2–16 अर्थात लगभग 27 वर्ष तक पता न चला हो।

4/ अपीलांट ने स्वयं् सक्षम प्राधिकारी, म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम (अनुविभागीय अधिकारी) , देवसर/ सिंगरोली के प्रकरण कमांक 1566 ब–90/ 1974–75 में पारित आदेश दिनांक 11–9–06 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके व्दारा अतिशेष घोषित हुई भूमियों में से कुछ शेष रह गई भूमियां म0प्र0शासन के नाम

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 5081–दो/2016 अपील जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	दर्ज करने का निर्णय लिया गया है अतः यह नहीं माना जा सकता कि इनक कार्यवाहियों की जानकारी अपीलांट को न हुई हो , जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये तथ्य विश्वसनीय नहीं हैं। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील लगभग 27 वर्ष की लम्बी अवधि वाद प्रस्तुत होने एंव अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये तथ्य विश्वसनीय न पाये जाने से अपील निरस्त की जाती है। सदस्य	